।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोंठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत जाजौर

राजस्व अपील सं० 5/22 /2021

दिनांकः 14.12.2021

01– मिसरू खां उर्फ मिसरू दीन पुत्र सिताब खां उम्र करीब 70 साल जाति मेव निवासी ग्राम नाहरपुर कलां तहसील व जिला अलवर

–अपीलाण्ट

बनाम

01– ग्राम पंचायत बहादरपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बहादरपुर उप तहसील बहादरपुर तहसील अलवर –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 27.06.1981 इंतकाल संख्या 375 ग्राम पंचायत बहादुरुपुर

–: निर्णय :–

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प जाजौर में पेश हुई। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत बहादरपुर के निर्णय दिनांक 27.06.1986 इंतकाल संख्या 375 के विरूद्ध पेश की गई है। जिसमें अपीलाण्ट ने निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, 193 मि० रकबा 14 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 415 रकबा 1.29 है० कायम हुआ है। ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला तहसील अलवर में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर अपीलाण्ट ने अपने भाई सुबेखां के साथ मिलकर श्रीमती भिरामा बाई बेवा त्रिलोक चन्द से रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 28.06.1979 को खरीदा था। वर्तमान में उक्त आराजी अपीलाण्ट एवं उसके भाई सुबेखां व अमीखां के नाम बहिस्सा बराबर से खातेदारी में चली आ रही है। ताईद में नकल जमाबन्दी हाल 2069–2074 खाता संख्या नया 490 संलग्न है। उक्त बैयनामे में अपीलाण्ट का नाम मिसरूदीन दर्ज किया हुआ है। किन्तु आलोच्य इंतकाल संख्या 375 में सहवन से

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

अपीलाण्ट का नाम पिसरूदीन या निसरूदीन दर्ज कर दिया गया है जिस कारण राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट का नाम निसरूदीन चला आ रहा है। जबकि बैयनामा में सही नाम मिसरूदीन दर्ज किया हुआ है। अपीलाण्ट का सही नाम मिसरू खां है। अपीलाण्ट के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि में दर्ज किया हुआ है। अपीलाण्ट को उक्त त्रुटि की जानकारी नही थी। हाल ही में दिनांक 20.11.2021 को जब पटवारी हलका से जमाबन्दी की नकल चाही तो अपीलाण्ट को पता चला की राजस्व अभिलेख में पिसरूदीन या नसरूदीन गलत दर्ज हो रहा है। जिस पर अपीलाण्ट ने अपने पिता की विरासत के इंतकाल के बारे में जानकारी चाही ओर उसकी नकल प्राप्त की वकील साहब से सलाह मशवारा किया। मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र दफा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जा कर आज्ञा दिनांक 27.06.1981 ग्राम पंचायत बहादरपुर बाबत इंतकाल संख्या 375 ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला तहसील व जिला अलवर को दुरूस्त कराया जाकर अपीलाण्ट का नाम नसरूदीन या पिसरूदीन के स्थान पर मिसरू खां दर्ज करवाने का न्यायालय को निवेदन किया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात फोटोप्रति नकल बैयनामा दिनांक 18.05.1979, नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 प्रमाणित प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051, प्रमाणित प्रति भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2051–2070 प्रमाणित प्रति इंतकाल संख्या 375 एवं मिसरू खां के आधार कार्ड संख्या 238275457208 की फोटोप्रति, मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे08/061/456110 की फोटोप्रति पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत, बहादरपुर के निर्णय दिनांक 27.06.1981 इंतकाल संख्या 375 अपास्त किया जाता है। नायब तहसीलदार बहादरपुर को उक्त इंतकाल प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वारिसान की जांच कर उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत जाजौर में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल रोठवाल)
उप खण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)